न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

निर्णय दिनांक :— 4.9-19

मु.सं. 112/2019

उनवान

1. जगदीश पुत्र ग्यारसीलाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम रायपुरिया बुजुर्ग तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0।

——वादी——

बनाम

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0 ।

दावा दुरस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादी ने वाद निम्न प्रकार पेश किया कि वादी की स्वयं की कब्जे काश्त एवं खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 399 रकबा 0.94 है0, खसरा नम्बर 407 रकबा 0.34 है0 खसरा नम्बर 408 रकबा 0.35 है0, खसरा नम्बर 409 रकबा 0.50 है0 , खसरा नम्बर 413 रकबा 0.51 है0 कुल किता 05 कुल रकबा 2.64 है0 व खसरा नम्बर 406 रकबा 0.01 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.01 है0 वाके ग्राम रायपुरिया बुजुर्ग पटवार हल्का करडा खुर्द तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0 में स्थित है जिसको वादग्रस्त आराजी से संबोधित किया गया है। वादी वादग्रस्त आराजी पर काबिज [illegible] चले आ रहे है तथा वादी अपनी उपज का उपयोग व उपभोग शान्तिपूर्वक करता चला आ रहा है। वादी का विवादित आराजी मे स्वयं के पिता का नाम ग्यारसा राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकित हो रखा है जबकि वादी के पिता का

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:58:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

वास्तविक नाम ग्यारसीलाल राजस्व रिकॉर्ड में अंकित होना चाहिये था तथा वादी के पिता का नाम वोटरलिस्ट व आधार कार्ड , पहचान पत्र, राशन कार्ड में ग्यारसीलाल अंकित हो रखा है जो सही दर्ज हो रखा है। इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिये था। वादी के पिता का नाम वादग्रस्त आराजी में राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से व वादी के पिता ग्यारसीलाल जी के अनपढ होने के कारण वादी के पिता का नाम ग्यारसा राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज कर दिया गया तथा जबकि दादी के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में ग्याससीलाल अंकित होना चाहिये था जिससे वादी वादग्रस्त आराजी में स्वयं के पिता का नाम ग्यारसा की जगह ग्यारसीलाल दुरस्त करावे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे जिसका वादी कानूनन अधिकारी है। वादी ने वादग्रस्त आराजी की राजस्व रिकॉर्ड की नकले दिनांक 20.05.2019 को निकलवाई तब उसको बैंक में दिखाया तो दस्तावेजो व रिकॉर्ड में पिता का नाम अलग अलग दर्ज हो रखा है। बैंक वालो ने कहा कि पहले तुम नाम दुरस्त कराओ तब लोन देंगे तब जानकारी हुई। वादी के लिये आवश्यक हो गया कि वो वादग्रस्त आराजी में वादी अपने पिता का नाम ग्यारसा की जगह ग्यारसीलाल दुरस्त करावे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे जिससे वाद श्रीमान के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ। वादी के लिये वाद दिनांक 20.05.2019 को बैंक वालो से कहा कि आपके पिता का नाम अलग अलग दर्ज हो रखा है जिसके लिये कहने पर उत्पन्न हुआ। विवादित आराजी श्रीमान के क्षैत्राधिकार में स्थित होने के कारण वाद की सुनवाई का क्षैत्राधिकार हासिल है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:58:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

वादी अन्दर मियाद एवं– निश्चित न्यायशुल्क पर पेश है। वाद बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 399 रकबा 0.94 है0, खसरा नम्बर 407 रकबा 0.34 है0 खसरा नम्बर 408 रकबा 0.35 है0, खसरा नम्बर 409 रकबा 0.50 है0 , खसरा नम्बर 413 रकबा 0.51 है0 कुल किता 05 कुल रकबा 2.64 है0 व खसरा नम्बर 406 रकबा 0.01 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.01 है0 वाके ग्राम रायपुरिया बुजुर्ग पटवार हल्का करडा खुर्द तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0 में स्वयं वादी अपने पिता का नाम ग्यारसा के स्थान पर ग्यारसीलाल दुरस्त फरमाया जावें। प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया जावे कि वो राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार की त्रुटि नही करे। अन्य कोई उचित आदेश जो वादी के हित में हो और माननीय न्यायालय की दृष्टि में उचित हो पारित किये जावें। दावा वकील वादी द्वारा पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को तलब जरिये नोटिस किया गया व जवाब सरकार लिया गया तो जवाब सरकार इस प्रकार पेश किया गया कि वाद पत्र का मद नं0 1 मुताबिक ग्राम रायपुरिया बुर्जग की जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 14 में दर्ज अंकन की हद तक स्वीकार है। मद संख्या 2 से 5 वादी स्वयं सिद्ध करें कि मद संख्या 6 से 9 कानूनी है। [illegible] से 10(ग) न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। [illegible] वकील वादी की एक तरफा बहस दावा सुनी [illegible] वकील ने दावे का समर्थन करते हुये प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार वादी के पिता का नाम ग्यारसा के स्थान पर ग्यारसीलाल शुद्ध किया जावे। वादी ने दावे के समर्थन में

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:58:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

ग्राम रायपुरिया बुजुर्ग की जमाबंदी संवत 2070–73 खाता संख्या 13 की नकल, स्टेट बेंक की पासबुक, आधार कार्ड, किसान कार्ड चुनाव पहचान पत्र राशनकार्ड के दस्तावेज बतौर सबूत पेश किये गये। वकील वादी की बहस पर गौर किया व प्रस्तुत दस्तावेजात का परीक्षण किया तो आधार कार्ड चुनाव पहचान पत्र किसान कार्ड वादी के पिता का नाम ग्यारसीलाल शर्मा अंकित केवल राजस्व जमाबंदी ग्राम रायपुरिया बुजुर्ग के खाता संख्या 13 में ग्यारसा अंकित है जिसे वादी दुरूस्त करवाना चाहता है जो प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार दावा वादी डिक्री किया जाना उचित समझते है।

दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर वादग्रस्त खसरा नम्बर 399 रकबा 0.94 है0, खसरा नम्बर 407 रकबा 0.34 है0 खसरा नम्बर 408 रकबा 0.35 है0, खसरा नम्बर 409 रकबा 0.50 है0 , खसरा नम्बर 413 रकबा 0.51 है0 कुल किता 05 कुल रकबा 2.64 है0 व खसरा नम्बर 406 रकबा 0.01 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.01 है0 वाके ग्राम रायपुरिया बुजुर्ग पटवार हल्का करेडा खुर्द तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0 में वादी के पिता का नाम ग्यारसा के स्थान पर ग्यारसीलाल शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादी जगदीश पुत्र ग्यारसीलाल में दर्ज किया जावे। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:58:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी

चाकसू